संख्या-34/2019/452 ई-2/तेरह-2019-64/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 06 मार्च, 2019

विषय- होटल एस.एस. ग्रेण्डयोर (ए यूनिट आफ श्रीनाथ इन्फ्रासिटी प्रा0लि0), सी पी 18-19, सेक्टर-बी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ को एफ0एल-6 समिश्र बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4031/जि0आ0अधि0/बार अनु/ 2018-19 /लखनऊ दिनांक 29.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.01.2019 के साथ प्राप्त आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी जिला बार समिति की बैठक दिनांक 14.01.2019 में जिला बार समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0-जी-201/दस-लाइसेंस-01/ एफ0एल0-6, 7/एस.एस. ग्रेण्डयोर/बार अनु0/लखनऊ दिनांक 15.02.2019 में की गयी संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त होटल एस.एस. ग्रेण्डयोर (ए यूनिट आफ श्रीनाथ इन्फ्रासिटी प्रा0लि0), सी पी 18-19, सेक्टर-बी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ को एफ0एल-6 समिश्र बार अनुज्ञापन एतदद्वारा इन शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि (1) आगुन्तकों के वाहनों हेतु पृथक आरक्षित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए तथा सुरक्षा की दृष्टि से अलग निकास द्वारा की भी व्यवस्था की जायेगी।(2) अनुज्ञापन निर्गत करने से पूर्व पृथक पार्किंग स्थल का उल्लेखचिन्हांकन भी सुनिश्चित किया जायेगा।(3) अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में व अग्निशमन की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है इकाई द्वारा उसका पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।(4) इकाई द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा सुरक्षाकर्मी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित रहेगें इसका पालन किया जायेगा।(5) रेस्टोरेन्ट जिस भवन में स्थित है उसका पूर्णता प्रमाण-पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया जायेगा। उक्त व्यवस्था होने के उपरान्त ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-34/2019/452 (1) ई-2/तेरह-2019तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त,उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0-जी-201 /दस- लाइसेंस-01/एफ0एल0-6, 7/एस.एस. ग्रेण्डयोर/बार अनु0/लखनऊ दिनांक 15.02.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।